

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 183

14 Falgun, 1939 (S)

Ranchi, Monday, 5th March, 2018

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification

28th February, 2018

NOTIFICATION No-7/2018 State Tax (Rate)

S.O. No. 21 Dated - 5th March, 2018 -- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand in the Department of Commercial Taxes No.2/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of State, Extraordinary, *vide* S.O 32, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (1) in the Schedule,
 - (i) in S. No. 102, for the entry in column (3), the entry "Aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed & cattle feed, including grass, hay & straw, supplement & husk of

pulses, concentrates & additives, wheat bran & de-oiled cake [other than rice-bran]", shall be substituted;

(ii) for S. No. 102A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"102A	2302	De-oiled rice bran
102B	2306	Cotton seed oil cake";

- (iii) against S. No. 136A, in column (2), for the entry, the entry "7117" shall be substituted';
- (iv) in S. No. 137, in column (3), after the words "used in agriculture, horticulture or forestry" the words, "other than ghamella", shall be added;
- (v) in S. No. 148, for the entry in column (3), for the entry against item number (v), the entry "Vibhuti", shall be substituted;
- (vi) after S. No. 150 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"151	Any	"Parts for manufacture of hearing aids";
	chapter	

2. This notification shall be deemed to be effective from 25th January, 2018.

[File.No Va Kar / GST / 05/ 2018] By the order of the Governor of Jharkhand,

K. K. Khandelwal,

Principal Secretary-cum Commissioner.

Note: - The principal notification No.2/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O 32, dated the 29th June, 2017 and last amended by Notification No. 42/2017 State Tax(Rate) dated 14th November, 2017 published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary *vide* S.O 129 dated the, 14th November, 2017.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 28 फरवरी, 2018

अधिसूचना संo. 7/2018- राज्य कर (दर)

एस. ओ- 21 दिनांक 5 मार्च, 2018-- झारखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1)एवं (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 2/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 जिसे एस. ओ. 32, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण ,में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,

- (1) अनुसूचीमें, -
 - (i) क्रम संख्या 102में, कॉलम (3) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान परप्रविष्टि जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य, सूखी घास और पुआल, दालों का अनुपूरक और भूसी, सांद्रण और योज्यक, गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया केक[राइस ब्रानसे भिन्न]को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) क्रम संख्या 102क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्निलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"102क	2302	तेल रहित राइस ब्रान
102ख	2306	बिनौले की खली";

- (iii) क्रम संख्या 136क के समक्ष, कॉलम (2) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "7117" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 137 में, कॉलम (3) में" कृषि, बागवानी या बानकी में प्रयोग किए जाते हैं", शब्दों के स्थान पर" घमेला से भिन्न" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 148 में, कॉलम (3) के बिंदु (v) की प्रविष्टि के स्थान पर,प्रविष्टि "विभूति" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 150 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; यथा -

"151	कोई	"सुनाई देने में सहायक उपकरण संबंधित
	भी	कलपुर्जे";
	अध्याय	

2. यह अधिसूचना 25 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/05/2018] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के॰ के॰ खण्डेलवाल, प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।

नोट : प्रधान अधिस्चना संख्या 2/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. 32, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 42/2017- राज्य कर (दर) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 जिसे एस. ओ. 129, दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के दवारा संशोधन किया गया है।
